

(तृतीय पक्ष प्रशासक – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 (THIRD PARTY ADMINISTRATORS - HEALTH SERVICES) REGULATIONS, 2016

## पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

## पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 025

## **Certificate of Registration No. 025**

- 1. मेसर्स पार्क मेडिक्लेम इंश्योरंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड तृतीय पक्ष प्रशासक का पंजीकरण बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के आधिन नवीकृत किया जाता है |
- The registration of M/s. Park Mediclaim Insurance TPA Private Limited is hereby renewed as per provisions of Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and IRDAI (TPA – Health Services) Regulations, 2016 to act as Third Party Administrator.
- 2. यह पंजीकरण 28-09-2022 से 27-09-2025 तक विधिमान्य होगा |
- 2. This Registration shall be valid from 28-09-2022 to 27-09-2025.
- 3. यह पंजीकरण इस शर्त के आधिन जारी किया जाता है कि तृतीय पक्ष प्रशासक, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जरी किये जानेवले दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निदेशों का पालन करेगा।
- 3. This Registration is renewed subject to the condition that the TPA shall comply with all the provisions of the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999), and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Third Party Administrator Health Services) Regulations, 2016, the rules or regulations made there under and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.

स्थान : हैद्राबाद

Place : Hyderabad कृते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

तरीख: **19-07-2022** For and on behalf of

Date: 19-07-2022 Insurance Regulatory and Development Authority of India